E: ISSN NO.: 2349-980X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-9*(Part-1) May- 2019
Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

ग्रामीण समाज में बालिकाओं के प्रति लैंगिक भेद–भाव का अध्ययन

ऋचा यादव
विभागाध्यक्ष,
समाजशास्त्र विभाग,
डॉ.सी.वी.रामन् विश्वविद्यालय,
कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

सुनील यादव
शोध छात्र,
समाजशास्त्र विभाग,
डॉ.सी.वी.रामन् विश्वविद्यालय,
कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

सारांश

ग्रामीण समाज में सामाजिक व पारिवारिक व्यवस्था आज भी परम्परागत लिंग भेद की मान्यताओं से प्रभावित है। शिक्षा का प्रचार–प्रसार एवं सरकारी योजनाओं ने ग्रामीण भौतिक वातावरण में काफी हद तक परिवर्तन लाया है किन्तु रूढ़िवादी अभौतिक सोच में परिवर्तन की गति अति मंद है। परिवार व समाज में बालिकाओं की भावनाओं को उचित स्थान प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

आज के वैश्वीकरण के युग में मीडिया के द्वारा या अन्य माध्यम से ग्रामीण बालिकाओं में अपने स्वाभिमान के प्रति थोड़ी जागरूकता अवश्य आयी है कि हमारा भी अस्तित्व इस समाज में है। प्रस्तुत अध्ययन में पाया गया की बालक–बालिका में भेदभाव किया जा रहा है। शिक्षा की कमी के कारण ज्ञान न होने से वह समाज द्वारा बनाई गई मान्यताओं का पालन कर रही है बालिकाओं के प्रति ज्यादातर भेदभाव शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उत्तराधिकार, उत्पीड़न तथा राजनीति के क्षेत्रों में किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में इन क्षेत्रों में भेदभावपूर्ण व्यवहार ज्यादा ही देखने को मिलता है। बालिकाएं उपरोक्त हर क्षेत्रों में आगे बढ़ने की इच्छा तो रख रही है परन्तु अपने–अपने समाज की आलोचना सुनने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। लेकिन हर लड़की में एक न एक दिन समाज में परिवर्तन की अपेक्षा जरूर करती है।

मुख्य शब्द : लैंगिक भेद–भाव, स्वार्थपरक, किशोरावस्था, दुर्बलता,अबला, लिंग पक्षपात,पूर्वाग्रह परिवेश रुढ़िवादिता, अनुगामिनी ।

प्रस्तावना

सृष्टि निर्माता ने मानव की उत्पत्ति शायद यह सोचकर की होगी कि वह संसार में मानवता का समावेश करेगा तथा मानवीय गुणों के मोती पीरोकर सहयोगात्मक भावनाओं की एक माला बनायेगा। ज्ञान, तर्क एवं बुद्धि के आधार पर मानव, मानव का सम्मान करेगा मगर उसने शायद यह कल्पना नही की होगी कि इस ज्ञान, तर्क एवं बुद्धि के साथ–साथ स्त्री और पुरूष के आधार पर स्वयं को बांट लेगा। स्वार्थपरक दुनिया ने लोभ, मोह, सत्ता के अहंकार में डुबकर पुरूष सशक्त और स्त्री अशक्त है ऐसी हमारी तथा हमारे समाज की धारणा बन जाएगी। प्रायः पुरूषों को यह कहते हुए सुना जाता है कि पुरूष ज्ञान, विज्ञान, कला व शासन आदि कार्यक्षेत्रों मं जिस प्रकार प्रतिभाशाली हुआ है वैसे स्त्रियां कहां हो पायी है क्योंकि स्त्रियां शारीरिक रूप से दुर्बल अथवा अबला होती है। यह बात अतीत से वर्तमान तक प्रचलित है।

हमारा देश कृषि प्रधान है। ग्रामीण समाज की अर्थव्यवस्था अधिकतर कृषि पर ही आधारित है। हमारे देश की महिलाएं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक क्रियाओं में योगदान दे रही है। कृषि से संबंधित कार्यों को करने के अतिरिक्त महिलाएं अपने घर के अन्य कार्य भी करती हैं, जिसमें साफ–सफाई, कपड़े धोना, बर्तन धोना, बच्चों व बुजुर्गों की देखभाल करना आदि कार्य सम्मिलित हैं। पुरूषों का कार्य, खेती से संबंधित सभी कार्य करना, फसल बेचना, दूध बेचना, बाजार संबंधी कार्यों को करना आदि होता है। कुछ महिलाएं नौकरी व मजदूरी भी करती हैं। परिवार के दायित्वों को पूरा करना, खर्च चलाना, की बीमारी में सभी का इलाज कराना है। अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो महिलाओं के कार्यों की मात्रा एवं भार अधिक है। मगर हमारे समाज में इतने कार्य के बावजूद महिलाओं के कार्य को कम आंकना, अब उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने लगा है।

ग्रामीण समाज के परिवारों में बचपन से ही बालक–बालिकाओं को उनके कार्यो का प्रशिक्षण मिलने लगता हैं किशोरावस्था आते–आते वह

खेत–खलिहानों से लेकर घर तक के कार्यों में भागीदारी हो जाती हैं किशोरावस्था आने तक बालिकाएं लिंग–भेद से भी परिचित हो जाती है वे समाज की परम्परागत मान्यताओं व रूढ़ियों से जुड़ने लगती है। सामाजिक पूर्वाग्रह के प्रति उनकी अज्ञानता, असमानता व लिंग–पक्षपात को अनुभव करने लगती है। आधुनिक एवं वैज्ञानिक युग में मीडिया द्वारा कुछ–कुछ बाहरी दुनिया की नजर आने लगी है। किशोरियों की जिज्ञासा इच्छाएं एवं अपेक्षाओं में बढ़ोतरी होती है परन्तु ग्रामीण समाज एवं पारिवारिक पूर्वाग्रह, सामाजिक रूढ़ियों व मान्यताओं के कारण समाज के विरोध में अपने विचार रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है। यह बालिकाओं के विकास व गतिशीलता में बाधक हो रहे है।

अध्ययन का उद्देश्य

भारत में जो संविधान लागू हुआ उसमें बालक–बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। शिक्षा के माध्यम से जागरूकता लाकर बालिकाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। महिला तथा पुरूष को बराबर का अधिकार देते हुए जाति, धर्म एवं लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। शहरी क्षेत्रों में परिवर्तन के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्र में परिवर्तन तो हो रहे है परन्तु मन्द गति से हो रहा है। ग्रामीण समाज में लड़कियों की उम्र बढ़ने के साथ–साथ सामाजिक पूर्वाग्रह व पारिवारिक बंधन बढ़ते जाते हैं जबकि हमें जरूर यह है कि किशोरावस्था में बालिकाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए तथा समय के साथ समाज में बालिकाओं के प्रति जो मानसिकता है उसके बदलाव लाया जाए।

प्रस्तुत अध्ययन में ग्रामीण परिवेश में निवास करने वाली बालिकाओं के प्रति असमानता पूर्ण व्यवहार किस–किस क्षेत्र में व्याप्त है। इस अध्ययन में यह भी जानने का प्रयास किया गया है कि क्या असमानता पूर्ण व्यवहार उनकी प्रगति और गतिशीलता को प्रभावित कर रहा है। बालिकायें समाज व परिवार में किस प्रकार के परिवर्तन की अपेक्षा करती है? इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली 150 बालिकाओं का चयन शोध न्यादर्श के रूप में किया गया है।

ग्रामीण समाज में बालिकाओं के प्रति लैंगिक भेदभाव का क्षेत्र प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा ग्रामीण समाज में निवास करने वाली बालिकाओं के प्रति सामाजिक असमानता, रूढ़ियां और पूर्वाग्रह के अनेकों क्षेत्र पाये गये जो निम्नांकित है।

1. शिक्षा का अभाव।
2. स्वास्थ्य के प्रति बालक–बालिका में असमान दृष्टिकोण।
3. अर्थ एवं रोजगार के प्रति सामाजिक रूढ़िभाव पूर्वाग्रह।
4. पैतृक सम्पत्ति एवं उत्तराधिकार में भेदभाव।
5. स्वयं के बारे में, घरेलू एवं सामाजिक निर्णय लेने में स्वतंत्रता प्राप्त न होना।
6. घरेलू हिसाब सामाजिक उत्पीड़न।
7. राजनीति में हस्तक्षेप की अनुमति प्रदान न करना।
8. सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों में हिस्सेदारी न होना।

शोधकर्ता द्वारा उपरोक्त तथ्यों को बालिकाओं के समक्ष रखा गया जिसको शत् प्रतिशत बालिकाओं ने सभी को स्वीकार किया तथा साथ ही साथ लगभग उपरोक्त सभी तत्यों के बारे में अपने–अपने विचारों को प्रस्तुत किया यह तथ्य उनकी मानसिकता को दर्शाते है।

शिक्षा का अभाव

ग्रामीण समाज में अध्ययनरत बालिकाओं के अनुसार अधिक शिक्षा न देने के अनेक कारण परिलक्षित हुए जो निम्नलिखित है–

1. ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी शिक्षा तो मिल जाती है परन्तु माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता है। स्कूल में भौतिक सुविधाएं पर्याप्त न होने के कारण भी परिवार से अनुमति नहीं मिलती है।
2. ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण माता–पिता बालिकाओं की जरूरतें पूरी नहीं कर पाते है।
3. ग्रामीण समाज में फैली रूढ़िवादी व संकीर्ण मानसिकता के लड़कियों को सिर्फ घरेलू हिसाब आने तक शिक्षा देना तथा विवाह से पूर्व थोड़ा सा व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। बालिकाओं के ऊपर शिक्षा में व्यय करने को बेकार का खर्चा मानते है।
4. अधिक शिक्षा देने से बालिकाएं स्वतंत्र विचार की हो जाती है। अधिक शिक्षित लड़की के लिए शादी योग्य वर ढूंढ़ने में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस कारण माता–पिता कम उम्र में ही विवाह करने की इच्छा रखते हैं।

स्वास्थ्य के प्रति असमान दृष्टिकोण

प्रस्तुत अध्ययन से शत्–प्रतिशत किशोरियों ने इसका अनुभव किया है और उनका मानना है कि बचपन से ही बालिकाओं के आहार व पोषण पर परिवार एवं समाज के लोगों द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है। जिससे बालकों की अपेक्षा बालिकाएं शारीरिक रूप से कमजोर हो जाती है। शोधकर्ता द्वारा न्यादर्श के रूप में चयनित बालिकाओं का मानना है कि–

1. किशोरावस्था तक आते–आते उनकी कार्यक्षमता पर असर पड़ता है।
2. विवाह के बाद गर्भावस्था में माँ को पौष्टिक आहार न मिलने के कारण मां व बच्चा कुपोषण के शिकार हो जाते है।
3. बालिकाओं को कम शिक्षा प्राप्त होने के कारण पोषक तत्वों का ज्ञान नहीं है।
4. दूध, घी, मांस–मछली आदि व्यंजनों के प्रति लिंग–भेद स्पष्ट नजर आता है।
5. भोजन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होने के कारण महिलाओं में अल्प रक्तता रोग को बढ़ावा मिलता है।

अर्थ व रोजगार के प्रति सामाजिक पूर्वाग्रह

हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है जिसमें फसल काटना, गुड़ाई करना, निराई करना, अनाज निकालना, फसलों की रखवाली करना तथा पशुओं को

चारा देने के काम में बालिकाएं घर की महिलाओं की मदद करती है। गृह उद्योग में महिलाओं का अधिकार रहता है। रोजगार में भवन निर्माण के कार्य में महिलाओं को कारीगर या मिस्त्री का काम नहीं दिया जाता है। समान कार्य व समान वेतन के नियम का पालन न करके कम मजदूरी दी जाती है।

सम्पत्ति व उत्तराधिकार में भेदभाव

हमारा समाज पुरूष प्रधान होने के कारण परिवार का मुखिया पुरूष होता है। भूमि, भवन व चल सम्पत्ति का अधिकार केवल पुत्र को होता है। इस प्रकार परम्परागत आधार पर सम्पत्ति का उत्तराधिकार पर लड़कियों को अधिकार नहीं दिया जा रहा है। शोधकर्ता द्वारा यह भी देखा गया कि बालिकाओं को सम्पत्ति व उत्तराधिकार संबंधी कानून का ज्ञान नहीं है। उनके अधिकार की बात करते पर वह सामाजिक आलोचना के डर से वो बचना चाहती है।

निर्णय की स्वतंत्रता का न होना

आज के युग में भी स्त्री खासकर ग्रामीण समाज में स्त्री को पुरूष के अधीनस्थ माना जाता है। वह पुरूष की अनुगामिनी मानी जाती है। परिवार व समाज के विविध क्षेत्र में निर्णय लेने का कार्य वर्षों से पुरूष करते आ रहे है जिसे पुरूष अपनी प्रतिष्ठा व आत्मसम्मान समझते है। यहां तक कि बालिकाओं के छोटे भाई का बातों को मान लिया जाता है मगर बालिकाओं की बात को महत्व नहीं दिया जाता है। इस कारण वह विषम परिस्थितियों में जीवन जीने के लिए अभ्यस्त हो गई है। वैचारिक मतभेद होने के बावजूद सहीं होने के बावजूद वह बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही है।

घरेलू हिंसा व उत्पीड़न

ग्रामीण में घरेलू हिंसा को निजी पारिवारिक मामला मानने का दस्तूर है। अध्ययनरत लड़कियां प्रतिदिन इसका अनुभव कर रही है। घर की चार दिवारी में रहना बाहर न जाने देने का आदेश, स्कूल जाने की इच्छा है मगर आगे ने पढ़ने का आदेश, नौकरी करने की इच्छा है मगर परिवार से अनुमति नहीं विवाह न करने की इच्छा है मगर कम आयु में विवाह करने को बाध्य करना, पति यदि शराब पीकर आता है मारपीट करता है तो उसे सहने का आदेश आदि आदेशों का पालन करना निजी व पारिवारिक मामला या परम्परा माना जा रहा है। दहेज के लिए किसी न किसी प्रकार के कटाक्ष सुनना। इस प्रकार की गतिविधियां अधिकांशतः परिवारों में चल रही है, जबकि लड़कों को इस सन्दर्भ में स्वतंत्रता है। इस तथ्य को लड़कियां महसूस करने लगी है मगर आवाज नहीं उठा पा रही है।

राजनीति में भागीदारी की अनुमति न प्रदान करना

ग्रामीण समाज में महिलाओं की दुनिया घर के अन्दर तक ही सीमित रही है। अचानक उनसे कहा जाए कि उन्हें पुरूषों से राजनीतिक क्षेत्र में मुकाबला करना है तो वह शक्ति व सामर्थ्य में पुरूषों के समकक्ष नहीं हो पाएगी। बालिकाओं का यह कहना है कि उनके पारिवारिक संस्कार उन्हें राजनीति में आने से रोकते हैं क्योंकि राजनीति से जुड़ी महिलाओं को समाज ठीक नहीं मानता हैं बालिकाओं का मानना है कि जो ग्रामीण महिलाएं राजनीति में आ रही हैं उसके पीछे परिवार के पिता, पति या पुत्र है। उनकी अपनी कोई सोच नहीं है वहां पर भी वह पुरूषों के आदेशानुसार ही चल रही है।

निष्कर्ष

प्रकृति द्वारा लड़का या लड़की की बनाई गई शारीरिक बनावट को लिंग कहते है। यह पूर्णतः जैवकीय अवधारणा है। यह सभी समाज व देश में एक सा है। मगर बालक व बालिका क्या भूमिका निभायेंगे इसे समाज में समाज द्वारा निर्धारित किया जाता है और समाज में उसी प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। इसी को जेण्डर या लिंगभेद कहते है। सम्पूर्ण समाज में इस प्रकार विभिन्नता की मानसिकता व्याप्त है। जिसको श्रम विभाजन की संज्ञा दी जाती है, जिसको सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमबद्धता भी कह सकते है परन्तु जिस स्थान पर यह अनुभव होने लगा कि किसी को विशेषाधिकार या अधिक मान्यता देकर उसके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है जो उसके प्रगति व गतिशीलता में अवरोध उत्पन्न कर रहे है। इसे लैंगिक भेदभाव या पक्षपात कहते हैं।

प्रस्तुत अध्ययन में यह पाया गया कि बालक–बालिका के प्रति भेदभाव तो बाल्यावस्था से होता है परन्तु इसका एहसास किशोरावस्था में होता है। शिक्षा के अभाव के कारण ज्ञान न होने से वह समाज द्वारा बनाई मान्यता का पालन कर रही हैं। वह विभिन्न क्षेत्रों में भेदभाव का अनुभव कर रही है। बालिकाएं आगे बढ़ने की इच्छा तो रख रही है परन्तु समाज की आलोचना सुनने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है मगर वह समाज से परिवर्तन की अपेक्षा भी करती है जिससे वह मानसिक द्वन्द व संघर्ष से बच सके और अपने जीवन में वह जो भी करना चाहती है वह कर सके।

सन्द्रर्भ ग्रंथ सूची

श्रीवास्तव, अंजना (2016) – भारतीय समाज के लैंगिक भेदभाव राजी प्रकाशन आगरा उत्तर प्रदेश।

दीक्षित, प्रभा (2009) जॉन स्टुअर्ट–मिल और नारीवाद।

भसीन, कमला – (2000) भला यह जेण्डर बचा है सिस्टम्स विजन नई दिल्ली।

शर्मा, कुमुद –(2004) नारी शिक्षा की चुनौतियां, समाज कल्याण विभाग, जनवरी नई दिल्ली।

भार्गव, प्रमोद – समाज कल्याण अनुपात में घटती और मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।

आहूजा, राम (1995) भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत पब्लिकेशन।

मिश्रा, एस.के. (2016) लिंग, विद्यालय और समाज, प्रथम संस्करण, मेरठ आर. लाल बुक डिपो।

सिंह, वी.एन. (2013) नारीवाद, जयपुर रावत प्रकाशन।

पाठक, विरेन्द्र – (2001) समाज कल्याण, लिंगीय पक्षपात ग्रामीण विकास में बाधक मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की पत्रिका